कहना है कि दिनांक 31.08.2012 को अचानक तबियत खराब हो गया। इस सम्बन्ध में सेविका को सूचना देकर ईलाज हेतु डा0 एस0बी0 पांडे के पास चली गई। सेविका ने जांच के दौरान इसकी सूचना नहीं दिया। साक्ष्य के रूप में डा0 की पर्ची संलग्न है। चयनमुक्ति आदेश से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण का तामिला चयनमुक्ति के पूर्व नहीं किया गया, जो चयन मार्ग दर्शिका–2011 एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। जिलो प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश द्वारा सेविका भी चयनमुक्ति हुई थी। सेविका ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C 19646/13 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए, पुर्नविचार हेतु अपीलीय न्यायालय में लौटाया गया, जिसके आलोक में उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना के द्वारा दिनांक 09.12.2014 को सेविका के अपील को स्वीकार करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश को रद्द कर दिया गया, जो अपील आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अपीलकर्ता पर एक दिन अनुपस्थित के अलावे कोई और शिकायत नहीं है।

अंत में अनुरोध किया गया कि अपीलकर्ता एक गरीब महिला है। जिसे इसके अलावे आय का कोई दुसरा स्त्रोत नहीं है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश से अपीकर्ता सहायिका को उनकी अनुपस्थिति के कारण चयनमुक्त किया गया। परन्तु, उक्त आदेश में सहायिका से स्पष्टीकरण पूछे जाने का तथ्य अंकित है परन्तु उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने अथवा उस पर विचार किए जाने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। सहायिका द्वारा दावा किया गया है कि उनके द्वारा सेविका को सूचना दे दी गयी थी। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के द्वारा दिनांक 28.01.2013 को पारित आदेश जिसमें सहायिका को चयनमुक्त किया गया है वह बिना सम्यक विचार के पारित किया गया प्रतीत होता है।

अतः अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए, सहायिका पुनः नियुक्त (Reinstate) करने का आदेश दिया जाता है। बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/04/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

26/04/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–40/2015–16

सर्विला देवी (सहायिका) बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश प्रस्तुत अपील वाद सर्विला देवी (सहायिका) पति अजीत पासवान, ग्राम–पकड़ी, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक 398/एन/2012 में दिनांक 28.01.2013 को पारित आदेश के ज्ञापांक 252 दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना के न्यायालय में दिनांक 05.08.2015 को वाद सं0 78/15 दाखिल किया। उक्त अभिलेख उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्र सं0 759 दिनांक 17.08.15 द्वारा सरकार के सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0 3226 दिनांक 11.08.2015 के आलोक में प्राप्त हुआ। सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0 3226 दिनांक 11.08.2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन में अनियमितता एवं चयनमुक्ति के मामले में अपीलीय प्रावधान के तहत सुनवाई हेतु आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका–10 की उप कंडिका (07) द्वारा सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामले में अधोहस्ताक्षरी को अपीलीय प्राधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। प्रदत्त अपीलीय शक्ति का उपयोग करते हुए, उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना से प्राप्त अभिलेख आंगनबाड़ी अपील में सुनवाई की निर्धारित तिथि 10.03.2016 को कोड सं0 145 के पक्षकारों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (C.D.P.O) मसौढ़ी के द्वारा वाद की सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 27.03.2018 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति आंगनबाड़ी सहायिका में केन्द्र पकड़ी कोड सं0 145 परियोजना मसौढ़ी, जिला–पटना में दिनांक 15.12.2013 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा किया गया था। नियुक्ति के बाद अपीलकर्ता अपना कर्त्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करती रही। किसी वरीय पदाधिकारी एवं लाभुकों का कोई शिकायत पिछले 9 (नौ) वर्षो में नहीं हुआ था। अपीलकर्ता के केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 31.08.2012 को तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा किया गया। जांच के समय अपीलार्थी (सहायिका) अनुपस्थित थी। जिसके आलोक में केन्द्र के सेविका एवं सहायिका के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ उचित कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को भेज दिया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना द्वारा ज्ञापांक 2884 दिनांक 22.11.2012 से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपीलकर्ता का आगे	